

प्रेषक,

अरशद फिरोज, बि०प्र०से०

सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

*द्वारा :-

आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक

2019

विषय:

वित्तीय वर्ष 2019-20 में केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान स्कीम अन्तर्गत केन्द्रांश के रूप में रु० 13,50,00,000/- (तेरह करोड़ पचास लाख) मात्र व्यय की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान स्कीम अन्तर्गत केन्द्रांश के रूप में रु० 13,50,00,000/- (तेरह करोड़ पचास लाख) मात्र व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. स्वीकृत की जा रही राशि के व्यय का विकलन मांग संख्या 21, मुख्य शीर्ष - 4202 - शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष 01 - सामान्य शिक्षा, लघुशीर्ष 203- विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा, उपशीर्ष 0207 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, विपत्र कोड 21-4202012030207, PFMS CODE- 9170, विषय शीर्ष 0207. 53. 01 मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में किया जाएगा।

3. उल्लेखनीय है कि इस स्कीम के तहत भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश के रूप में निम्नवत् राशि स्वीकृत की गई है :-

क्र०	भारत सरकार का पत्रांक/दिनांक	राशि
01	F.No. 24-26/2014-U.Policy (BHIGU35MUSK-Gen) dated 09.04.19	3,50,00,000 /-
02	F.No. 24-26/2014-U.Policy (BHIGU35MUSK-SC) dated 09.04.19	1,00,00,000 /-
03	F.No. 24-26/2014-U.Policy (BHIGU35MUSK-ST) dated 09.04.19	50,00,000 /-
04	F.No. 24-26/2014-U.Policy (BHIGU35MUSK-Gen) dated 09.04.19	3,50,00,000 /-
05	F.No. 24-26/2014-U.Policy (BHIGU35MUSK-SC) dated 09.04.19	1,00,00,000 /-




06	F.No. 24-26/2014-U.Policy (BHIGU35MUSK-ST) dated 09.04.19	50,00,000 /-
07	F.No. 24-26/2014-U.Policy (BHIGU35MUSK-Gen) dated 09.04.19	1,40,00,000 /-
08	F.No. 24-26/2014-U.Policy (BHIGU35MUSK-SC) dated 09.04.19	40,00,000 /-
09	F.No. 24-26/2014-U.Policy (BHIGU35MUSK-ST) dated 09.04.19	20,00,000 /-
10	F.No. 24-26/2014-U.Policy (BHEXAC-Gen) dated 01.02.2019	1,16,25,000 /-
11	F.No. 24-26/2014-U.Policy (BHEXAC-SC) dated 01.02.2019	22,50,000 /-
12	F.No. 24-26/2014-U.Policy (BHEXAC-ST) dated 01.02.2019	11,25,000 /-
कुल राशि		13,50,00,000 /-

4. उक्त स्वीकृत की जा रही राशि की निकासी ए0सी0 विपत्र पर अग्रिम रूप में किया जाएगा।

5. स्वीकृत की जा रही राशि की निकासी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) द्वारा नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बेली रोड़, पटना से करके एकमुश्त बैंक ड्राफ्ट/ऑनलाईन माध्यम से सचिव-सह-राज्य परियोजना निदेशक को उपलब्ध कराई जाएगी, जो इस राशि का व्यय कंडिका 3 में वर्णित भारत सरकार के पत्र में निहित निदेशों एवं वर्णित स्कीमों के लिए करेंगे।

6. राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् द्वारा राशि कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर एवं पटना वीमेंस कॉलेज, पटना को आधारभूत संरचना विकास हेतु राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के खाते में इस स्कीम के मार्गदर्शिका के अनुसार अंतरण की जाएगी। राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय को राशि अनुमोदित संस्थागत विकास योजना के अनुसार ही विमुक्त किया जाएगा।

7. स्वीकृत होने वाली राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् द्वारा राज्य सरकार को विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराया जाएगा। स्वीकृत राशि से होने वाले योजनाओं के क्रियान्वयन एवं उसकी गुणवत्ता के लिए संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव/कुलपति एवं राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् के परियोजना निदेशक पूर्णतः जिम्मेवार होंगे एवं किसी प्रकार के कदाचार की स्थिति में विभाग नियमानुकूल कार्रवाई कर सकेगी।

8. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या 15/पी 5-01/2016 में दिनांक 05.08.2019 को पृष्ठ 129/टि0 पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं वित्त विभागीय संकल्प संख्या 3758 दिनांक 31.05.2017 की कंडिका 7 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

(AM)



9. इस स्वीकृत्यादेश से वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 एवं महालेखाकार बिहार के पत्रांक 877-907 दिनांक 08.11.2007 के आलोक में आवंटन आदेश निर्गत होने के पश्चात् राशि निकासी की जाएगी। अतएव महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।

10. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा राज्य सरकार के अंकेक्षण (वित्त) विभाग को यह अधिकार होगा कि वे इस अनुदान राशि का लेखा का अंकेक्षण करें। अतएव इसके लिए संपूर्ण राशि का लेखा जोखा अलग से रखा जाएगा।

11. निदेशक, उच्च शिक्षा, बिहार, पटना को इसकी सूचना दी जा रही है।

12. इस राशि का विचलन अन्य मदों पर नहीं किया जायेगा।

13. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(अरशद फिरोज)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापक 15/पी 5-01/2016 36

पटना, दिनांक 5/8 /2019

प्रतिलिपि - विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/वित्त विभाग (स्कीम एवं बजट शाखा)/

योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/कुलपति/कुलसचिव, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा/तिलका मांडी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर/राज्य परियोजना निदेशक-सह-सदस्य सचिव, राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद्, पटना/निदेशक, उच्च शिक्षा/प्रधानाचार्य, पटना वीमेंस कॉलेज, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च शिक्षा/प्रशाखा पदाधिकारी- 05 एवं 15 एवं रोकड़पाल, उच्च शिक्षा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(अरशद फिरोज)

सरकार के उप सचिव

(Arshad)